सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3556/MH/57/2026-RU-I

दिनांक: 18.05.2026

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-धुले,
कलेक्टर कार्यालय, नया प्रशासनिक भवन,
धुले, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.dhule@maharashtra.gov.in

विषय: सर्वे नं. 107, क्षेत्र 08.56.00 हे., मौजे वेपूर, ता./जि. धुळे स्थित अनुसूचित जनजाति भूमि के अवैध हस्तांतरण, धोखाधड़ी तथा गैर-आदिवासियों के पक्ष में किए गए नामांतरण/खरीदी खत को रद्द करने के संबंध में श्री मनोज पावरा व अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 06.01.2026 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री मनोज पावरा,
निवासी-मोहिदा, तालुका-शिरपुर,
जिला-धुले, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3556/MH/57/2026-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

श्री मनोज पावरा, जिला–धुले, महाराष्ट्र द्वारा अनुसूचित जनजाति भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण के संबंध में अभ्यावेदन पर दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 16.03.2026
अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री मनोज पावरा, जिला–धुले, महाराष्ट्र से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि का गैर-आदिवासियों के पक्ष में कथित रूप से अवैध हस्तांतरण किया गया है। अभ्यावेदन के अनुसार, वर्ष 1991 के कथित सामान्य मुख्तारनामे (General Power of Attorney) तथा दिनांक 21.02.2005 की शासकीय अनुमति का दुरुपयोग करते हुए लगभग 24 वर्ष पश्चात आदेश पारित किया गया, जिससे प्रक्रिया की वैधता एवं पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2017 के पश्चात 7/12 अभिलेखों में मूल आदिवासी धारकों के नाम हटाकर गैर-आदिवासियों के नाम दर्ज किए गए हैं, जबकि इस संबंध में वारिसों की सहमति प्राप्त नहीं की गई। साथ ही, शासकीय अनुमति में निहित शर्तों का उल्लंघन किया गया प्रतीत होता है, जिससे आदिवासी हितधारकों के आर्थिक एवं वैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है।

याचिकाकर्ता द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया है कि उक्त भूमि से संबंधित खरीदी खत एवं नामांतरण की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित/निरस्त किया जाए तथा वर्ष 1991 के मुख्तारनामे, वर्ष 2005 के आदेश एवं 7/12 अभिलेखों में किए गए परिवर्तनों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही, इस प्रकरण में संलिप्त व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मूल आदिवासी भूमि धारकों/वारिसों के अधिकारों की बहाली की जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

AS

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 30.01.2026 को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धुले को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, दिनांक 16.03.2026 तक आयोग को संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता को दर्शाता है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

प्रकरण के संबंध में पूर्व में कोई भी सुनवाई आयोजित नहीं की गई है।

6. दिनांक 16.03.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धुले, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री. रोहन कुवर, उप-विभागीय अधिकारी, धुले, महाराष्ट्र तथा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि श्री राज कुमार पावरा उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी तथा याचिकाकर्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि सुनवाई के दौरान उपस्थित उप-विभागीय अधिकारी (SDO) द्वारा अवगत कराया गया कि बंधित भूमि का हस्तांतरण सामान्य मुख्तारनामा (General Power of Attorney) के माध्यम से आदिवासी से गैर-आदिवासी के पक्ष में किया गया है।

7. दिनांक 16.03.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

जिलाधिकारी धुले, जिला धुले तहसील-धुले ग्राम-देवपुर सर्वे नं. 107 से संबंधित निम्नांकित दस्तावेज 15 दिवस के भीतर आयोग को उपलब्ध करावें-

1. विवादित भूमि के संबंध में जिलाधिकारी धुले द्वारा दिए गए अनुमति आदेश दिनांक 22.02.2005 के प्रकरण क्रमांक फ/कक्ष 7/आदिवासी/कावी/167/05 के संपूर्ण प्रकरण की सत्यापित प्रति।
2. विक्रय बैनामा दिनांक 07.03.2005 दस्ता नं. 1105/2005 से संबंधित सभी प्रपत्रों की सत्यापित प्रति।
3. देना बैंक खोल गली धुले शाखा, शाखा धुले जिला धुले महाराष्ट्र के खातेदार चीफ प्रमोटर नियोजित श्री विट्ठल सहकारी गृह निर्माण सोसायटी धुले के बैंक खाते के 2001 से 2010 तक के स्टेटमेंट की प्रति।
4. बिट्ठल सहकारी गृह निर्माण सोसायटी का रजिस्ट्रेशन पत्र एवं सोसायटी का वर्ष 2001 से लेकर 2010 तक की ऑडिट रिपोर्ट एवं समस्त बैठकों के एजेंडे तथा निर्वाचन की जानकारी तथा सोसायटी के वर्ष 2001 से लेकर 2010 तक समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-3556/MH/57/2026-RU-I

दिनांक: 16.03.2026

विषय: सर्वे नं. 107, क्षेत्र 08.56.00 हे., मौजे वेपूर, ता./जि. धुळे स्थित अनुसूचित जनजाति भूमि के अवैध हस्तांतरण, धोखाधड़ी तथा गैर-आदिवासियों के पक्ष में किए गए नामांतरण/खरीदी खत को रद्द करने के संबंध में श्री मनोज पावरा व अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 06.01.2026 के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला मैजिस्ट्रेट, जिला-धुले,
कलेक्टर कार्यालय, नया प्रशासनिक भवन, धुले, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	रोहन कुवर	SDO धुळे	8999952879	Rohan
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	राजकुमार रूम पावरा			[signature]
2.	आनंदा गोपीचंद मालचे		8007374929	[signature]
3.				
4.				